"प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स"
कार्यालय, प्राचार्य, ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तवव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह(म0प्र0)
दूरभाष कार्यालय 07812–222461, फैक्स 07812–227148,
www.mp.gov.in/highereducationmp/damoh ई-मेल pg_collegedamoh@yahoo.co.in
NAAC Accredited 'B+' Level

क्रमांक /923/2026 दमोह दिनांक 15 जुलाई 2026

// बस सुविधा हेतु निविदा आमंत्रण //

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 875 / 2103774/38–2 भोपाल, दिनांक 20.06.2024 के परिपालन में इस महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्टापेज से महाविद्यालय लाने एवं वापिस जाने के लिए एक 30 से 50 सीटर बस की निम्न विवरणानुसार आवश्यकता है। निविदा विज्ञापन की दिनांक से अंतिम दिनांक 25.07.2026 तक कार्यालयीन समय में सीलबंद लिफाफे में उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा की जा सकती है।

क्र	विवरण	विशिष्टिकरण	दर (रूपये में)
1	2	3	4
01	यात्री बस	(1) 30 से 50 सीटर नॉन एसी बस (2) वाहन का पंजीकरण वर्ष/मॉडल/वाहन/बीमा (3) वाहन जी.पी.एस. सिस्टम युक्त होना चाहिए।	(1) बस के सीट क्षमता के अनुसार प्रति किलोमीटर की दर (ईंधन, चालक, परिचालक का वेतन एवं मरम्मत कार्य सहित) (2) प्रतिमाह की दर (ईंधन, चालक, परिचालक का वेतन एवं मरम्मत कार्य सहित)

निविदा की शर्ते –

1. महाविद्यालयीन आवश्यकतानुसार प्रति शैक्षणिक दिवस महाविद्यालय द्वारा निर्धारित संचालन चक्र एवं रूट के अनुसार बस का संचालन किया जायेगा। समय चक्र एवं रूट आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील होगा। बस सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र. मोटरयान अधिनियम के तहत जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्धारित वाहन सुरक्षा, वाहन फिटनेस, चालक, परिचालक की योग्यता आदि के शर्तो का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। सेवा प्रदाता वाहन सुरक्षा फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट बीमा सहित एवं चालक परिचालक के लाइसेंस, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड योग्यता संबंधी के प्रमाण पत्र महाविद्यालय को निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगी।
2. बस सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र. मोटरयान अधिनियम के तहत जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्धारित वाहन सुरक्षा, वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट बीमा सहित, वाहन फिटनेस, चालक, परिचालक की योग्यता आदि के शर्तो का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
3. 30 से 50 सीटर बस होना चाहिए जिसमें जी.पी.एस. सिस्टम एवं सी.सी.टी.व्ही. केमरे लगाना अनिवार्य होगा। बस सेवा प्रदाता द्वारा 10000/– रुपये का डिमांड ड्राफ्ट शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह के नाम से सुरक्षा निधि जमा करनी होगी।
4. बस के दोनों तरफ स्थायी बैनर लगाया जायेगा।
5. कॉलेज बस में प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है।
6. कॉलेज बस में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रण यंत्र (SLD) होना अनिवार्य है।
7. कॉलेज बस में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होनी चाहिए।
8. कॉलेज बस में कॉलेज का नाम एवं कॉलेज का दूरभाष क्रमांक अंकित होना चाहिए।
9. महाविद्यालय आदेश के अनुसार महाविद्यालय के आदेश दिनांक से बस का संचालन प्रारंभ करना होगा।

10. निविदा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह के लिये होना चाहिये।

11. निविदा स्पष्ट सुवाच्य एवं केवल सील बंद (लिफाफे चारों तरफ से टेप लगाकर) लिफाफे में ही मान्य होगी। अन्यथा तुलनात्मक तालिका में शामिल नहीं किया जायेगा।

12. समय-सीमा में प्राप्त निविदा ही मान्य किया जायेगा एवं निविदा स्वीकृत करने का अंतिम निर्णय महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा जो सर्वमान्य एवं बंधनकारी होगा।

13. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अनुबंध केवल अग्रिम आदेश तक ही प्रभावी होगा।

14. निविदा म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम एवं उसके पश्चात हुए संशोधनों के पालन के नियम अनुसार रहेगा। प्रदाता फर्म का जी.एस.टी. नं. अंकित करना आवश्यक होगा तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें।

15. देयक तीन प्रतियों में रहेगा एवं देयक भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु फर्म के बैंक का नाम, खाता क्रमांक IFSC देयक में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

16. निविदा भेजते समय लिफाफे के उपर निविदा का विषय अवश्य अंकित करें।

17. महाविद्यालय में कार्यालय समय सीमा में प्राप्त निविदा को दिनांक 27.07.2026 को क्रय समिति के समक्ष दोपहर 02 बजे खोला जायेगा। निविदा का समस्त शर्तों के पालनकर्ता फर्म एवं न्यूनतम अंकित दर वाले निविदा को महाविद्यालय क्रय समिति के अनुशंसा के उपरान्त ही आपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा।

18. चालक परिचालक किसी भी प्रकार के अशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। एवं वाहन में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना होगा।

19. समय-समय पर राज्य शासन उच्च विभाग उच्च विभाग के भी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

20. समय सारणी एवं आवागमन मार्ग महाविद्यालय के प्राचार्य के आदेशानुसार द्वारा समय-समय परिवर्तित किया जा सकता है।

21. बस संचालक द्वारा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल वाहन संचालन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

22. बस संचालक को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित समस्त दिशा निर्देशों एवं मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना होगा।

23. बस संचालन का अनुबंध प्रारंभिक रूप से 03 माह का होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्राचार्य द्वारा एक वर्ष में 10 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

24. बस संचालन से संबंधित निर्णय लेने एवं अनुबंध को पूर्व सूचना के बिना निरस्त करने का महाविद्यालय प्राचार्य का निर्णय सर्वमान्य होगा।

25. किसी भी परिवाद स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला दमोह होगा।

26. शासन के नियमानुसार (वित्त विभाग के अनुसार) जी.एस.टी. भुगतान के समय काटा जायेगा।

27. महाविद्यालय में बस संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

28. अन्य कोई भी निर्देश राज्य शासन अथवा उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त होता है तो समय-समय पर उन आदेशों का पालन अनिवार्य होगा।

(डॉ. आलोक कुमार जैन)
प्राचार्य,
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस,
ज्ञानचंद [illegible] स्नातकोत्तर
[illegible]
महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)